राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(51)/ग्राविवि–5/PRAGARTI/2021–22/Part-III-02200 जयपुर, दिनांक सितम्बर, 2024

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत अन्य योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को कनर्वेजेन्स के तहत लाभान्वित किये जाने हेतु।

प्रसंगः–विभागीय पत्र दिनांक 11.07.24

योजना के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क (दिशा–निर्देश) के बिन्दू संख्या 8 में योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाओ के साथ कन्वर्जेनस कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास के साथ–साथ अन्य राज्य/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता के आधार पर प्राथमिकता से मूलभूत सुविधाएं कराये जाने के निर्देश है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 2024–25 हेतु 156420 लक्ष्य आवंटित किये गये है। योजना के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क (दिशा–निर्देश) के बिन्दू संख्या 8 की पालना में आवास स्वीकृति के साथ ही अन्य योजनाओं से पात्रता के आधार पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्त निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में आवास स्वीकृत लाभार्थियों को अन्य योजनाओं के प्रावधानानुसार पात्र परिवारों को निम्नानुसार लाभ देय है :–

❒ **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से अन्य लाभः–**

- महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानानुसार अनुमत कार्य भूमि सुधार, कृषि/उद्यानिकी, लघु सिचाई, टांका निर्माण लाभार्थी द्वारा कराये जा सकते है।
- पात्र लाभार्थियों को आवास के साथ राशि रू. 9000 तक की लागत का पोषण वाटिका कार्य अनुमत।
- पात्र लाभार्थियों को पशु छाया गृह निर्माण कार्य अनुमत।

❒ **स्वच्छ शौचालय :–** पात्र परिवारों को आवास के साथ स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण से शौचालय निर्माण।

❒ **स्वयं सहायता समुह :–** परिवारों को स्वयं सहायता समुह से जोड कर लाभान्वित करना।

❒ **पेयजल की सुविधा :–**

- जन स्वास्थ अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित ''जल जीवन मिशन'' (JJM) के प्रावधानानुसार स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध, इस हेतु संबंधित [illegible]लय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग'' से संपर्क किया जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.24 14:13:59 IST
Reason: Approved

❒ विद्युत कनेक्शन :–

- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सौलर सिस्टम लगाना एवं अन्य योजना के प्रावधानानुसार विद्युत कनेक्शन की सुविधा।

❒ एलपीजी गैस कनेक्शन :–

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रावधानानुसार एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा।

❒ सामाजिक सुरक्षा :– श्रम, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागों की योजनाओं का लाभ।

❒ मैसन प्रशिक्षण :–

- अर्द्धकुशल /अकुशल श्रमिक को प्रमाणित मैसन बनाने हेतु योजनान्तर्गत मैसन प्रशिक्षण दिया जाता है।

❒ बैंक से आवास ऋण :–

- राशि रू. 70, 000/– तक, इच्छुक लाभार्थियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा।

उक्तानुसार योजनांतर्गत पात्र लाभार्थियों को अन्य योजनाओ से स्वीकृति जारी कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करावे :–

1. पंचायत समिति/क्लस्टर पंचायत मुख्यालयों पर एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षण आयोजित करावे।
2. अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यशाला/प्रशिक्षण में योजना से संबंधित सामान्य जानकारी लाभार्थियो को दी जावे।
3. कार्यशाला/प्रशिक्षण के दौरान ही पात्र लाभार्थियो को उक्त योजना अंतर्गत देय लाभ हेतु स्वीकृति जारी करावे।

अतः संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लाभार्थियों की कार्यशाला/प्रशिक्षण/बैठक आयोजित कराकर आवास स्वीकृति के साथ ही अन्य योजनाओं से पात्रता के आधार पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने बाबत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि.।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashutosh A.T. Pednekar
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.24 14:13:59 IST
Reason: Approved